कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली।

पत्रांक 98 /बजट/सांसद निधि/लेखा/2017-18 दिनांक : 24.04.2017

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड–
चन्दौली।

कार्यादेश

विषयः—सांसद निधि कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं धनराशि का प्रेषण।

श्री कुंवर छोटेलाल सिंह मा0 सांसद, संसदीय क्षेत्र–राबर्ट्सगंज जी के द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति दिनांक **20.04.2017** को प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति कार्य/कार्यों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। स्वीकृत नवीन कार्य/परिवर्तन स्वरूप नवीन कार्य/द्वितीय किश्त कार्यो के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि 1124000.00 का चेक सं0 272202 दिनांक 22.4.2017 निम्न प्रतिबन्ध के साथ व्यय किया जायेगा।

1. यदि धनराशि प्रारम्भिक लागत/प्रारम्भिक प्राक्कलन पर अवमुक्त की गई तो विस्तृत प्राक्कलन की दो प्रतियॉ तकनीकि स्वीकृति के उपरान्त यथाशीघ्र अभिकरण कार्यालय को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जायें।
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना सांसद महोदय को अवश्य दी जाये और यथा सम्भव इस अवसर पर उन्हें आमंत्रित भी किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृति कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृति तो नहीं है अथवा पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत कराया तो नहीं जा चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कार्य कराया जाता है तो जिसके लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
3. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृत किया गया निर्माण कार्य संबन्धित मा0 सांसद के विधान सभा क्षेत्र की सीमान्तर्गत है। यदि कार्य स्वीकृति एवं धनराशि भी निर्गत कर दी गयी हो तब भी किसी भी दशा में निर्माण कार्य विधान सभा क्षेत्र से बाहर मार्ग निर्देशानुसार नही कराया जा सकता। इसके उपरान्त भी यदि कर्यादायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है तो वह मार्ग निर्देशों का उल्लंघन होगा। जिसके लिए कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी और नियमानुसार धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी। निर्माण कार्य आरम्भ कराने से पूर्व सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य कराया जाय। कार्य आरम्भ से पूर्व, निर्माणाधीन अवस्था में तथा पूर्णता पर फोटोग्राफी कराकर फोटोग्राफ डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराया जायेगा

4 निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण एवं योजना के नाम का उल्लेख करते हुए सूचना पट/फलक स्थल पर अवश्य लगाया जाये तथा जनता के उपयोग हेतु बनाये जाने वाले सार्वजनिक भवन/रैन बसेरा/बारातघर आदि का निर्माण कराने से पूर्व भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पक्ष में होना अनिवार्य है एवं भूमि स्वामित्व विवादित न हो। जिसकी पुष्टि करते हुए स्वामित्व राज्य सरकार के पक्ष में कराते हुए ही कार्य आरंभ कराया जायेगा तथा इसे अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखते हुए डी0आर0डी0ए0 स्तर से मॉगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को हस्ताक्षर सहित प्राक्लन में संलग्न किया जाये।

5 कार्य से संबन्धित न्यूनतम दरों के संबन्ध में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर ही नियमानुसार भुगतान आदि की कार्यवाही की जाये।

6 प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त यदि प्राक्कलनों में प्रयुक्त दरों एवं विशिष्टियों के संबन्ध में कभी कोई अनियमित्ता पायी जाती है तो उसके लिए कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी और आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7 श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किसी न किसी निर्वाचित माननीय जनप्रतिनिधि अथवा उच्च अधिकारी के सम्मुख कराया जाना चाहिये तथा कार्य पर अनिवार्य रुप से शिला पट्ट लगाया जायेगा एवं फोटो कार्य समाप्ति पर डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध कराई जायेगी।

8 कार्यों का सम्पादन एवं धनराशि का उपयोग योजना के मार्ग निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। योजना से संबन्धित मार्ग निर्देशों की प्रति पूर्व में ही समस्त कार्यदायी संस्थाओं को प्रेषित की जा चुकी है। **निर्माण पर कान्टीजेन्सी तथा सेन्टेज चार्ज, सुपरवीजन चार्ज की मद पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।**

9 स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही निर्माण कार्य/कार्यों की सम्पादित किया जाये। स्वीकृति के विरूद्व किसी भी कार्य पर ऋणात्मक व्यय सृजन न किया जाये साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्पन्न कार्य उपयोगिता स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है ताकि सृजित परिसम्पत्ति का उपयोग जन समान्य द्वारा कर लिया जाय नगर निगम की सीमा अन्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृति कार्य का अनापत्ति प्रमाण/पत्र के उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाए।

10 कार्यों हेतु दी गई धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर तथा 31 मार्च के उपरान्त अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर बचत की धनराशि को अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा अथवा कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण/पत्र के साथ अनिवार्य रूप से डी0आर0डी0ए0 को वापस करना होगा।

11 कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा कार्य निरस्त होने पर या विवादित हो जाने पर कार्यदायी संस्था बची हुई धनराशि को तत्काल जि0ग्रा0 वि0 अ0 को वापस करेगी। इस धनराशि को सामायोजित कराने का प्रयास न किया जाये, बिलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि वापस करनी होगी।

12 योजना के ऑडिट के समय वांच्छित अभिलेख अभिकरण द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराने होगें।

13 मॉसिक प्रगति की सूचना (भौतिक / वित्तीय) निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह 22 तारीख तक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, डी0आर0डी0ए0 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराकर प्रतिलिपि अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की जाये।

14 मा0 सांसद द्वारा दिये गये प्रस्ताव को अतिरिक्त यदि प्राक्कलन में अन्य कार्य शामिल कर कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और संज्ञान में आने पर अथवा मा0 जन प्रतिनिधि द्वारा यदि उक्त कार्य पर आपत्ति की जाती है तो कार्यदायी संस्था को ही दोषी मानते हुए नियमानुसार वसूली आदि की कार्यवाही की जायेगी।

15 यहॉं स्पष्ट किया जाता है कि कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत नामित होने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं विकास खण्ड के अवर अभियन्ता की देख–रेख में ही सम्पादित किया जायेगा तथा द्वितीय किस्त की मॉग/उपभोग प्रमाण पत्र उपरोक्त दोनों अधिकारियों के सत्यापन उपरान्त प्रेषित किया जायेगा।

16. हैण्डपम्प/सोलर सम्बन्धी कार्य की दशा में संलग्न चौहद्दी को दृष्टिगत रखते हुये शासन/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुरुप हैण्डपम्प/सोलर सार्वजनिक स्थल पर ही अधिष्ठापित कराया जायेगा। किसी भी दशा में व्यक्तिगत लाभार्थ हैण्डपम्प/सोलर अधिष्ठापित वर्जित है।

संलग्नः स्वीकृत धनराशि का विवरण

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
चन्दौली।

पत्रांकः */उक्त/दिनांकित*

प्रतिलिपिः–1. श्री छोटेलाल मा0 सदस्य, लोकसभा जी को अवलोकनार्थ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
चन्दौली।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य का विवरण

श्री कुंवर छोटेलाल सिंह मा0 सांसद, संसदीय क्षेत्र–राबर्ट्सगंज

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की प्राकलित लागत	प्रथम किश्त के रूप में प्रस्तावित धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में प्रस्तावित धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम बाधी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा जी मन्दिर रोड तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य लं0– 265.00 मी0	14.99	11.24	0	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड–चन्दौली।
2	विकास खण्ड चकिया के ग्राम कटरिया में महेन्द्र के घर से नहर तक सीवर नाली एवं कान्ता पासवान के घर से पोलावन के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य लं0– 450.00 मी0	16.03	12.02	0	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 स्टेट कन्सट्रशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट का0 लि. वाराणसी
3	ग्राम पड़रिया में (धनरिया खुर्द) लल्लन चौहान के घर से सुदामा के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य लं0– 67.00 मी0।	5.00	3.75	0	ग्राम पंचायत पड़रिया,शहाबगंज
	योग	**36.02**	**27.01**	0	
4	विकास खण्ड चकिया के ब्लाक संसाधन केन्द्र चकिया मे सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लं0 101.25 मी0।	5.050	0.000	1.260	खण्ड विकास अधिकारी चकिया
	योग	**5.050**	**0.000**	**1.260**	